[To be published in the Official Gazette, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii)]

Ministry of Corporate Affairs Notification

New Delhi, the 25th July, 2019

S.O.____ In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 396 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs, published vide number G.S.R 832(E), dated the 3rd November, 2015 namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number (6), in column (1), for the word "Shillong" the word "Guwahati" shall be substituted.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No.1/16/2013 -CL-V]

(K.V.R.Murty)

Joint Secretary to the Government of India

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number G.S.R. 832(E), dated the 3rd November, 2015 and subsequently amended *vide* number S.O. 1556(E), dated the 26th April, 2016.

[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2019

का.आ. केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 396 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.832(अ), तारीख 03 नवंबर, 2015 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की, सारणी में कॉलम (1) क्रम संख्या (6) में "शिलांग" शब्द के स्थान पर "गुवाहाटी" शब्द रखा जाएगा।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं.1/16/2013-सीएल-V] के.बी आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.832(अ) तारीख 03 नवंबर, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी और का.आ.1556(अ) दिनांक 26 अप्रैल, 2016 द्वारा इसमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए।